न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 211/2007

1 हरदेव पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी ढाणी गोपी चाहर तन नीमेड़ा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)।

अपीलांट

बनाम

1 मालीराम पुत्र बद्री (फौत)
1/1 महावीर प्रसाद उम्र 43 वर्ष पुत्र स्व. मालीराम
1/2 कैलाशचन्द उम्र 40 वर्ष पुत्र स्व. मालीराम
1/3 महेश उम्र 38 वर्ष पुत्र स्व.मालीराम
1/4 ओमप्रकाश उम्र 35 वर्ष पुत्र स्व. मालीराम
1/5 सुमित्रा उम्र 35 वर्ष पुत्री स्व. मालीराम
1/6 ममता उम्र 45 वर्ष पुत्री स्व. मालीराम
2 सुवालाल पुत्र स्व. बद्री
3 शुभकरण पुत्र स्व. बद्री
4 श्रीमति गणपति देवी बेवा स्व. बद्री समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शिवपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.) नाम हजफ दिनांक 02.05.2024
5 भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध डिक्री एवं निर्णय श्री हितेश कुमार आरएएस न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला दावा संख्या 440/2002 बउनवानी हरदेव बनाम मालीराम आदि डिक्री एवं निर्णय दिनांक 16.10.2007 दावा इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ।

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद सरोज, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 19.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 440/2002 में पारित निर्णय दिनांक 16.10.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक दावा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 678 वाके ग्राम नीमेड़ा तहसील श्रीमाधोपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष उभयपक्षों ने राजीनामा प्रस्तुत किया था। जिस पर विचारण न्यायालय ने गौर नहीं कर विवादग्रस्त आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने वाद पत्र घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नम्बर 678 रकबा 0.64 हैक्टेयर वाकै ग्राम नीमेड़ा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित है। वादी जमीन मुतनाजा पर 45 साल से लगातार काश्त कर रहा है। सेटलमेंट में गलती से मृतक बद्री पुत्र भुरा कौम ब्राह्मण का नाम दर्ज हो गया जबकि उक्त भूमि से प्रतिवादीगण व मृतक बद्री का कोई वास्ता किसी किस्म का नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा बेदखल करने व प्रभावशाली व्यक्तियों को बेचने की धमकी देने के कारण दावा प्रस्तुत करना पड़ा है। इसलिए वादीगण को भूमि खसरा नम्बर 678 रकबा 0.64 हैक्टेयर वाकै ग्राम नीमेड़ा तहसील श्रीमाधोपुर का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जावे। इस पर विचारण न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर करके रेस्पोण्डेन्टस/प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये रेस्पोण्डेन्टस संख्या 2 लगायत 4 मय वकील उपस्थित हुये जिन्होंने अपीलान्टस के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत किया तथा रेस्पोण्डेन्ट संख्या 1 मय वकील उपस्थित हुआ परन्तु जवाब दावा एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की एवं अनुपस्थित होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलान्टस ने विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत की जिसका रेस्पोण्डेन्टस की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया फिर भी विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को खारिज कर दिया। विवादित भूमि कृषि भूमि खसरा नम्बर 678 वादी के कदीमी कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर मुखालफाना कब्जा के आधार पर 12 साल से अधिक समय से अपीलान्टस का कब्जा काश्त होने के कारण अपीलान्टस को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा रेस्पोण्डेन्ट के खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के अनुसार समाप्त हो चुके है। इसके अलावा रेस्पोण्डेन्ट संख्या 2 ता 4 ने विचारण न्यायालय के समक्ष राजीनामा करके भी वादग्रस्त

मु.कार्य. अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भूमि को अपीलान्ट के कब्जा काश्त खातेदारी की होना स्वीकार किया फिर भी विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट का वाद पत्र खारिज किया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अतः अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरसी 1997 पेज 62 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि को पहले अपीलान्टस के बुजुर्ग काश्त करते थे, अपीलांट के अकेले के हिस्से में उक्त भूमि आई है तब से अपीलांट काश्त कर रहा है। राजस्व रिकार्ड से अपीलांट/वादी का वाद प्रमाणित नहीं होता है। अपीलांट द्वारा कब्जा जाहिर करने के लिए कोई विधिक रिकार्ड, प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये है। सेटलमेंट व राजस्व की गलती करने का कोई आधार वादी द्वारा नहीं बताया गया है कि अपीलांट के बुजुर्गों की जमीन पहले कैसे थी तथा रेस्पोडेन्ट के पिता स्व. ब्रदी के नाम दर्ज कैसे दर्ज हुई जबकि अपीलांट जाति जाट से व रेस्पोडेन्ट जाति ब्राह्मण है जहां तक एडवर्स पजेशन का सवाल है उसके बारे में अपीलांट द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई जिससे कब्जा मुखालफाना सिद्ध हो सके। केवल यह कह देना कि वक्त बुजुर्गान से 45–46 वर्षों से काबिज काश्त करता आ रहा है इससे एडवर्स पजेशन सिद्ध नहीं होता। जहां प्रतिकूल कब्जा साबित नहीं हुआ वहां केवल लंबे समय से आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्रदान नहीं करनी चाहिए। विचारण न्यायालय ने वादी का वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोन से स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड से अपीलांट/वादी का वाद प्रमाणित नहीं होता है। अपीलांट द्वारा कब्जा जाहिर करने के लिए कोई विधिक रिकार्ड, प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये है। सेटलमेंट व राजस्व की गलती करने का कोई आधार वादी द्वारा नहीं बताया गया है कि अपीलांट के बुजुर्गों की जमीन पहले कैसे थी तथा रेस्पोडेन्ट के पिता स्व. ब्रदी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

के नाम दर्ज कैसे दर्ज हुई जबकि अपीलांट जाति से जाट व रेस्पोडेन्ट जाति से ब्राह्मण है जहां तक एडवर्स पजेशन का सवाल है उसके बारे में अपीलांट द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं हुआ जिससे कब्जा मुखालफाना सिद्ध हो सके। केवल यह कह देना कि वक्त बुजुर्गान से 45–46 वर्षों से काबिज काश्त करता आ रहा है इससे एडवर्स पजेशन सिद्ध नहीं होता। जहां प्रतिकूल कब्जा साबित नहीं हुआ वहां केवल लंबे समय से आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्रदान नहीं करनी चाहिए। विचारण न्यायालय ने वादी का वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर